समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण क. ..../2016

नि - 1032-PBR-16

श्री आशुतोष राजवैद्य

आयु लगभग 45 वर्ष,

आ0 श्री आर.के.राजवैद्य

निवासी–125, रजत नगर,

बी.एच.ई.एल.एरिया, भोपाल ---- आवेदक

विरूद्व

इण्डिया लैण्ड डेवलपमेंट प्रा0लि0

द्वारा प्रबंध संचालक

कार्यालय–216–ए, जोन–1,

एम.पी.नगर भोपाल ---- रेस्पोंडेंट/अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिंता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क. 148/अपील/2013–14 आशुतोष राजवैद्य विरूद्व इण्डिया लैण्ड डेवलपर्स में पारित आदेश दिनांक 08.03.2016 से दुखित होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(आशुतोष/इंडिया लैंड डवलपमेंट)

प्रकरण कमांक निगरानी 1032–पीबीआर/2016

जिला–भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.03.2016	आवेदक की ओर से श्री एच0एल0झा अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका दिनांक 25–1–2016 को देखने से स्पष्ट है कि प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक 23–2–2016 के लिये नियत किया गया है, तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 33 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की प्रति आवेदक को प्रदाय की जाकर प्रकरण जबाव एवं बहस हेतु नियत किया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होने के पश्चात् पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी आवेदन पत्र पर कार्यवाही नहीं की जाना चाहिये, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–3–2016 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में अंतिम तर्क सुनकर प्रकरण का विधिवत् निराकरण करें । अध्यक्ष	